


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राज्य सरकार विकलांग भत्ता नियम-1976 के अन्तर्गत वित्त विभाग के आदेश दिनांक: एफ. 10(4) गुप-2/एफ.डी./76 दिनांक:13.10.1984 एवं संशोधित आदेश दिनांक: 18.08.1989, 02.05.1998, 12.09.2008 एवं एफ. 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के प्रावधानान्तर्गत चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा मण्डल (जिला चिकित्सालय) धार, मध्यप्रदेश के मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र सं. 67759 दिनांक 02.08.2007 एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुशलगढ़ (बासंवाड़ा) के अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित कार्मिक को इनके आवेदन की दिनांक से उनके मूल वेतन का छः (6) प्रतिशत जो अधिकतम रुपये 600/- (अखरे रुपये छः सौ मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	आवेदन तिथि
1.	श्री पवन कुमार मारु, बा. कुशलगढ़, बासंवाड़ा	भौतिक विज्ञान	29.07.2020

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/विकलांग भत्ता/2020/135 दिनांक: 19.08.2020  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा), माध्यमिक, संभाग
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक)
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक कुशलगढ़, बांसवाड़ा।
4. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य रा.बा.उ.मा.वि. कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा को सम्बन्धित कार्मिक का मूल विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (रजिस्टर्ड)
6. संबंधित कार्मिक।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर